

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद

में स्व वित्त पोषित परियोजना
के अन्तर्गत फ्लैट प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

कार्यालय प्रयोग हेतु

**पंजीकरण
प्रारम्भ**

27.07.2015 से 27.08.2015 तक

हिण्डन, यमुना एवं गंगा अपार्टमेंट में फ्लैटों का पंजीकरण

सिद्धार्थ विहार में
20 मंजिले फ्लैटों
का निर्माण कार्य पूर्ण
फिनिशिंग कार्य
प्रगति पर

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए : www.upavp.com पर लाग आन करें।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.



Website : <https://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in



KEY PLAN SIDDHARTH VIHAR

परियोजना का लोकेशन प्लान

- योजना दिल्ली-लखनऊ मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 पर स्थित है।
- योजना से दिल्ली की दूरी मात्र 05 किमी० है।
- योजना से नोएडा की दूरी मात्र 02 किमी० है।
- NH-24 एवं NH-58 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 75मी० चौड़ा एक्सप्रेस हाइवे योजना से होकर निकल रहा है।
- सन्तोष मेडीकल कालेज योजना की सीमा पर स्थित है।
- योजना परिषद द्वारा विकसित वसुन्धरा योजना से मात्र 1 किमी० की दूरी पर स्थित है।
- 50 क्यूसेक गंगा जल वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पूर्व में ही योजना में निर्मित है तथा 100 क्यूसेक गंगा जल परियोजना का कार्य योजना में ही निर्माणाधीन है।




गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद



1 BHK CLUSTER PLAN



1 BHK

UNIT BUILT UP AREA = 51.28 SQM
SUPER BUILT UP AREA = 64.61 SQM

TYPE - A




TYPE - B



TYPE - C



2 BHK CLUSTER PLAN



2 BHK TYPE A

UNIT BUILT UP AREA = 81.26 SQM
SUPER BUILT UP AREA = 97.16 SQM




2 BHK TYPE B

UNIT BUILT UP AREA = 81.26 SQM
SUPER BUILT UP AREA = 97.16 SQM



2BHK + STUDY CLUSTER PLAN




2 BHK+STUDY

UNIT BUILT UP AREA = 97.54 SQM
SUPER BUILT UP AREA = 116.66 SQM

Type-A



Type-B



PENTHOUSE PEARL

TOTAL BUILT UP AREA = 139.21 SQM
 UNIT SUPER AREA = 166.50 SQM
 TERRACE AREA = 37.51 SQM




UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN

3 BHK CLUSTER PLAN



3 BHK

BUILT UP AREA = 107.70 SQM
UNIT SUPER AREA = 128.06 SQM

ENTRY



PENTHOUSE RUBY

TOTAL BUILT UP AREA = 175.10 SQM
 SUPER AREA = 208.19 SQM
 TERRACE AREA = 38.69 SQM




UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN

4BHK+STUDY & 3 BHK+STUDY CLUSTER PLAN



PENTHOUSE DIAMOND

TOTAL BUILT UP AREA = 199.74 SQM
 UNIT SUPER AREA = 229.70 SQM
 TERRACE AREA = 64.45 SQM



UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN




4BHK+STUDY

BUILT UP AREA = 165.15 SQM
UNIT SUPER AREA = 189.92 SQM



3BHK+STUDY+TERRACE

BUILT UP AREA = 144.11 SQM
UNIT SUPER AREA = 165.73 SQM
TERRACE AREA = 20.89 SQM




3BHK+STUDY

BUILT UP AREA = 144.11 SQM
UNIT SUPER AREA = 165.73 SQM

SITE LAYOUT PLAN



स्थल पर निर्माण कार्य का वास्तविक दृश्य



स्थल पर निर्माण कार्य का वास्तविक दृश्य



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग कम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाइयों के रूप में विकसित हो सकें।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के अर्न्तगत स्व वित्त पोषित बहुमंजिलीय आवासीय परियोजना 2015 (गंगा अपार्टमेन्ट, यमुना अपार्टमेन्ट एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट) में निर्माणाधीन भवनों हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। विशिष्टियाँ निम्नवत् प्रस्तावित हैं।

भवनो की विशिष्टियाँ :

- स्ट्रक्चर :-** अतिप्रभावशाली भूकम्प रोधी आर0सी0सी0 शियरवाल तकनीक पर आधारित स्ट्रक्चर का निर्माण।
- फर्श :-** बैडरूम/ड्राइंग रूम/डायनिंग लॉन्ज में विट्रिफाईड टाइल्स एवं कॉमन क्षेत्र में कोटा स्टोन फ्लोरिंग।
- किचन :-** कूकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स, स्टेनलेस स्टील का सिंक।
- ट्वायलेट :-** फर्श पर एन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक-एक वाशबेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।
- चौखट :-** एंगिल आइरन/मलेशियन शाल वुड की चौखट।
- दरवाजे :-** फ्लैट्स में मुख्य द्वारा पर डिजाइनर डोर तथा अन्य समस्त फ्लश डोर।
- खिडकियाँ :-** यू-पी0वी0सी0 विण्डो, व जाली।
- रंग रोगन :-** फ्लैट्स में भीतरी दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग दरवाजों पर एनेमल पेन्ट/पालिश।
- जलापूर्ति :-** सभी फ्लेट हेतु छत पर आर0सी0सी0 का संयुक्त टैंक व अलग से ग्राउण्ड वाटर स्टारेज की सुविधा।
- विद्युत :-** अग्निरोधक पी0वी0सी0 कॉपर कन्सील्ड वायरिंग व पावर व ए0सी0 प्वाइंट का प्राविधान, पावर बैकअप हेतु अतिरिक्त वायरिंग टी0वी0 एवं फोन साकेट व एम0सी0बी0।
- स्टेयर केस :-** कोटा स्टोन फ्लोरिंग, आयरन रेलिंग।
- डोर फिटिंग्स :-** गोल्डन फिनिश एल्युमीनियम फिटिंग्स।

अन्य प्राविधान :-

- 1 इन्टरकॉम व टेलीफोन/इन्टरनेट वायरिंग का प्राविधान।
- 2 मुख्य दरवाजे पर नाइट लैच एवं मैजिक आई का प्राविधान।
- 3 प्रवेश द्वार में मोर्टिस लॉक का प्राविधान।
- 4 वाशिंग मशीन के लिये अलग से वाटर व विद्युत प्वाइंट का प्राविधान।
- 5 केबिल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।
- 6 परिसर में क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पूल का प्राविधान।

स्व वित्त पोषित बहुमंजिलीय आवासीय परियोजना 2015 हेतु उपलब्ध सम्पत्ति का विवरण

क्रस	परियोजना का नाम	फ्लैट का प्रकार/श्रेणी	मंजिले	उपलब्ध फ्लैट	कुर्सी क्षेत्रफल (व०मी०)	सुपर प्लिथ एरिया (व०मी०)	अनुमानित लागत (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख में)	चयन के पश्चात् मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	अवशेष भुगतान चार द्विमासिक किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि (लाख में))
1	हिण्डन अपार्टमेन्ट	01 BHK	S+20	05	51.28	64.61	33.11	1.66	4.97	6.62
		02 BHK	S+18	94	81.26	97.16	50.16	2.51	7.41	10.06
2	यमुना अपार्टमेन्ट	2BHK+स्टडी	S+20	160	97.54	116.66	60.38	3.02	9.08	12.07
		03 BHK	S+20	89	107.70	128.06	66.64	3.33	9.99	13.33
		पेन्ट हाउस पर्ल	19-20वे मंजिल पर	02	139.21	166.50+ 37.51 टैरेस	89.17	4.46	13.39	17.83
		पेन्ट रुबी	हाउस 19-20वे मंजिल पर	09	175.10	208.19+ टैरेस 38.69	110.00	5.50	16.50	22.00
3	गंगा अपार्टमेन्ट	3 BHK +स्टडी	S+20	117	144.11	165.73	86.09	4.30	12.95	17.21
		3 BHK +स्टडी+टैरेस	17वीं मंजिल पर	06	144.11	165.73+ टैरेस 20.89	96.14	4.81	14.45	19.22
		4 BHK +स्टडी	S+20	105	165.15	189.92	98.77	4.94	14.83	19.75
		पेन्ट हाउस डायमण्ड	19-20वे मंजिल पर	02	199.74	229.70+ टैरेस 64.45	123.53	6.18	18.55	24.70
		कुल		589						

नोट:-सम्पत्ति की संख्या एवं अनुमानित लागत में कमी / वृद्धि सम्भावित है।

फ्लैट के प्रकार/श्रेणी में से आवेदक किसी एक का चयन कर आवेदन पत्र के क्रमांक 3 पर अंकित आवेदित श्रेणी में सही (✓) का निशान लगाएं।

गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट में तलवार उपलब्ध सम्यक्तियों का विवरण

अपार्टमेन्ट	फ्लैट का प्रकार	उपलब्ध फ्लैट	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल	चतुर्थ तल	बी			डी			ई			एफ			
							पंचम तल	षष्ठम तल	सप्तम तल	अष्टम तल	नवम तल	दसवां तल	ग्यारहवां तल	बारहवां तल	तेरहवां तल	चोदहवां तल	पन्द्रहवां तल	सोलहवां तल	सत्तरहवां तल
हिण्डन अपार्टमेन्ट	01बी0एच0के0	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	02बी0एच0के0	94	-	3	1	1	5	4	3	4	2	6	8	9	8	13	6	8	8
यमुना अपार्टमेन्ट	02बी0एच0के0 + स्टडी	160	4	5	3	3	5	7	7	8	10	12	6	13	11	13	10	11	12
	03बी0एच0के0	89	3	5	4	1	1	2	5	6	4	4	9	9	5	5	7	7	7
	पेन्ट हाउस पर्ल	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पेन्ट हाउस रूबी	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गंगा अपार्टमेन्ट	03बी0एच0के0+स्टडी	117	3	6	5	5	7	4	7	5	8	6	8	6	6	7	6	8	15
	03बी0एच0के0+स्टडी+टेरिस	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	04बी0एच0के0 + स्टडी	105	4	7	7	6	7	7	6	8	7	8	5	7	7	6	7	-	-
	पेन्ट हाउस डायमण्ड	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	योग:-	589																	

1. 2बी.एच.के., 2 बी.एच.के.+स्टडी, 03 बी.एच.के. + स्टडी, एवं 4 बी.एच.के. स्टडी फ्लैट हेतु उपरोक्तानुसार ए से लेकर एफ तक गुप बनाये गये हैं। आवेदक को वरीयता के आधार पर दो गुप का चयन करने का विकल्प उपलब्ध है। आवेदन पत्र के क्रमांक 3 पर अंकित प्रथम वरीयता गुप एवं द्वितीय वरीयता गुप में आवेदन कर सकते हैं। प्रथम वरीयता गुप की लाटरी सम्पन्न होने के बाद द्वितीय वरीयता गुप की लाटरी पर उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

2. 1 बी.एच.के., 03 बी.एच.के.+स्टडी+टेरिस, पेन्ट हाउस पर्ल, रूबी एवं डायमण्ड में उपरोक्तानुसार गुप में आवेदन मान्य नहीं है। समस्त उपलब्ध फ्लैटों के मध्य लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जायेगा।

पंजीकरण हेतु प्राविधान :

- 1 बहुमंजिले फ्लैट्स के टावर्स हेतु अपेक्षित क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं अन्य कॉमन सुविधाओं जैसे—लिफ्ट, जलापूर्ति एवं कैम्पस लाईट इत्यादि के पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर का भी प्राविधान किया गया है।
- 2 बाउण्ड्रीवाल, गार्डरूम तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिये योजना में प्राविधान किया गया है।
- 3 फ्लैट्स में फायर सेफ्टी एवं परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।
- 4 इंगित मूल्य अनुमानित है। फ्लैट्स निर्माणाधीन अवस्था में है। निर्माण कार्य 12 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। भवनों के वर्तमान अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणों जैसे—भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर भी निर्धारित मूल्य में बढोत्तरी सम्भव है।
- 5 फ्लैट्स की टाइप डिजाइन व ले-आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
- 6 प्रथम तल, द्वितीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज (PLC) के रूप में विक्रय मूल्य का कमशः 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- 7 सामान्यतः एक श्रेणी में कराये गये पंजीकरण अन्य श्रेणियों में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे यदि किसी श्रेणी में पंजीकरण प्रस्तावित भवनों की संख्या से अधिक होता है तो परिषद उक्त भवनों का निर्माण योजना के अन्य सेक्टरों में कराये जाने पर विचार कर सकती है।
- 8 उक्त अनुमानित / आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्पेस, स्टिल्ट/खुला/कवर्ड स्थान आरक्षित कराना अनिवार्य होगा। कवर्ड कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रू०-1.75 लाख व खुले के लिए रू०-0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। उपलब्ध पार्किंग स्पेस आवंटियों के मध्य लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे।
- 9 प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।
- 10 परिसर का रख-रखाव प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त आवंटियों द्वारा नियमानुसार 'रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी' का गठन करते हुए उसके द्वारा रख-रखाव कराया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 11 प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जे की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटियों को पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व "कार्पस फण्ड" में एक मुश्त निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि 1 BHK भवन हेतु रू०-100000.00, 2 BHK भवन हेतु रू०-145000.00, 2 BHK+study भवन हेतु रू०-175000.00 3 BHK भवन हेतु रू०-190000.00 एवं 3 BHK+study भवन हेतु रू०-250000.00 तथा 4 BHK+study भवन हेतु रू०-285000.00 एवं पेन्ट हाउस पर्ल हेतु रू०-290000.00 पेन्ट हाउस रूबी हेतु रू०-340000.00 पेन्ट हाउस डायमण्ड हेतु रू०-370000.00 एवं 3 BHK+study+Terrace हेतु 330000.00 अतिरिक्त देय होगी।
- 12 परिसर की सामान्य सेवाये जैसे—लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाईट, विद्युत बिल एवं सफाई इत्यादि के नियमित रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स के आवंटी से प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से प्रतिमाह भवनों के सुपर फ्लैट्स एरिया के अनुसार रू०-1.50 प्रति वर्गफुट की दर से रख-रखाव शुल्क लिया जायेगा, जिसे बाद में परिषद अथवा सोसायटी को कम व अधिक करने का अधिकार होगा।

- 13 योजना में प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का कार्य एवं उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि परिषद द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तगत कर दी जायेगी, तत्पश्चात् सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं के रख-रखाव हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की सहमति से निर्धारित कर अपने श्रोतों से वहन करना होगा।
- 14 राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे-वेट, जी0एस0टी0 आदि आरोपित किया जाता है तो वह स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।
- 15 भारत सरकार द्वारा लागू सर्विस टैक्स सम्पत्ति के मूल्य पर प्रत्येक किश्त के साथ देय होगा। जो समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों के अनुसार भुगतान लागू/देय होगा।
- 16 आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194-1ए में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रू0-50.00 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर श्रोत पर 01 प्रतिशत आयकर कटौती का प्राविधान है। रू0-50.00 लाख से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के आवंटी किश्त से 01 प्रतिशत धनराशि आयकर के रूप में कटौती कर क्रेता द्वारा TIN वेबसाईट पर उपलब्ध 26QB के माध्यम से आयकर विभाग में परिषद के पेन संख्या-AAAJU0103A में धनराशि समयान्तर्गत जमा कर फार्म नं0-16बी की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उक्त जमा धनराशि की पुष्टि 26AS से करने के उपरान्त ही सम्पत्ति के खाते में प्रविष्टि की जायेगी।

पंजीकरण हेतु पात्रता :

- 1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3 फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पंजीकरण के नियम :

- 1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक भारतीय स्टेट बैंक की किसी अधिकृत निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा पुस्तिका में संलग्न निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में आवेदन करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- 5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तथा मांग पत्र के अनुसार देय धनराशि पर शासन के आदेशानुसार सर्विस टैक्स की कटौती भी की जायेगी। पंजीकरण

धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित संलग्न रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

- 6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 15 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 7 यदि किन्ही कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों / आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 8 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

भुगतान का तरीका :

- 1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम एकमुश्त धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 04 द्विमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
- 2 फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाटरी से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।
- 3 मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 4 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 6 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" / "UPAVP" के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा एवं सेवाकर का भुगतान मांग पत्र में उल्लिखित बैंक में अलग से देय होगा।

आवंटन नियम :

- 1 परिषद / शासनादेशो के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 3(अ) 2 बी0एच0के0, 2 बी0एच0के0 + स्टडी, 03बी0एच0के0, 3बी0एच0के0+स्टडी, एवं 4 बी0एच0के0 स्टडी, फ्लैट हेतु तलवार उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण तालिका में ए से लेकर एफ तक ग्रुप बनाये गये हैं आवेदक वरीयता के आधार पर किन्ही दो ग्रुप का चयन कर सकते है। यदि कोई आवेदक किसी भी ग्रुप में सहमति नहीं देता है तो परिषद उपलब्धता के आधार पर किसी भी ग्रुप में शामिल करने हेतु स्वतंत्र होगी। एक ही ग्रुप में उपलब्ध समस्त फ्लैट को एक साथ लाटरी में डाला जायेगा, फ्लोर व फ्लैट संख्या का निर्धारण लाटरी से होगा।
- 3(ब) 1बी0एच0के0, 03बी0एच0के0+स्टडी+टेरिस, पेन्ट हाउस-पर्ल, रूबी एवं डायमण्ड में उपरोक्तानुसार ग्रुप में आवंटन मान्य नहीं है। समस्त उपलब्ध फ्लैटों के मध्य लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जायेगा।
- 4 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में (बिन्दु- '3अ' में दी गयी सम्पत्ति श्रेणी के अनुसार) प्रथम वरीयता में उपलब्ध फ्लैट्स के अनुरूप आवेदको के मध्य लाटरी की जायेगी जिन आवेदको को उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार फ्लैट्स नहीं मिल पाते है उनको पुनः द्वितीय वरीयता के क्रम में लाटरी से आवंटन किया जायेगा। आवेदको की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 5 फ्लैटों की उपलब्धता की स्थिति में ग्रुपिंग हेतु अधिकतम दो आवेदको के प्रार्थना पत्र पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथासम्भव दी जायेगी।
- 6 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 7 सम्पत्ति / तल संख्या का निर्धारण लाटरी द्वारा किया जायेगा।
- 8 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध आवंटन की श्रेणी में ही परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा। फ्लैट परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र देने की तिथि पर समस्त देय धनराशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को 45 दिन के अन्दर नोडल बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट / बैंक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

फ्लैट्स का कब्जा

- 1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 12 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 2 स्व वित्त पोषित योजना के आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की आवंटी द्वारा अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 4 निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आवंटित सम्पत्ति का कब्जा स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार पूर्ण मूल्य एवं अन्य समस्त देय भुगतान पर विक्रय विलेख के पंजीयन के उपरान्त देय होगा।

तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 2 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 3 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।
- 7 सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता झा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित होगा। सम्पत्ति के तल के अनुसार सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

आरक्षण :

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स में निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। वर्तमान समय में उ०प्र० में विद्यमान जिलो से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ब) समुचित प्रमाण। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। उ०प्र० राज्य की सेवा में तथा उ०प्र० राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध कराये।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (नेत्रहीन विकलांग को 01 प्रतिशत एवं अन्य विकलांग को 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा)
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अन्तर्गत श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। आवेदक को आरक्षण श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
- 9 आवेदन पत्र के बिन्दु-3 पर अंकित सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से किसी एक हेतु आवेदित श्रेणी पर सही का निशान लगाये। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 10 फ्लैट्स की तल वार उपलब्धता हेतु विवरण पंजीकरण पुस्तिका में उपलब्ध है, उपलब्धता के अनुसार ग्रुप बनाये गये हैं। आवेदक उपलब्ध ग्रुप (ए से एफ तक) में वरीयता के आधार पर किन्ही दो ग्रुप को चयनित कर अपनी हस्तलिपि में आवेदन पत्र में अंकन करें। यदि ग्रुप का चयन नहीं किया जाता है, तो परिषद द्वारा लाटरी से किसी भी तल पर फ्लैट आवंटन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 11 हिण्डन अपार्टमेन्ट के 1बी0एच0के0 फ्लैट, यमुना अपार्टमेन्ट के पेन्ट हाउस, पर्ल एवं रूबी एवं गंगा अपार्टमेन्ट के 3बी0एच0के0+स्टडी+टेरिस, पेन्ट हाउस डायमण्ड हेतु ग्रुप का अंकन नहीं किया जाना है। उक्त मे फ्लैट संख्या का चयन लाटरी से किया जायेगा।
- 12 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित / सामान्य	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
उ.प्र. सरकार के सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन / वरिष्ठ नागरिक	O

होरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही प्रथम अंकित विकल्प मान्य होगा।

- 13 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण प्रमाण पत्र की पुष्टि अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 14 स्व वित्त पोषित योजना के अर्न्तगत आवेदको को बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर को लेखा शीर्षक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एस0एफ0एस0 आवासीय योजना 2015" (UPAVP SFS HOUSING SCHEME 2015) जो दिल्ली/गाजियाबाद में देय होगा।
- 15 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-12 में दिया जायेगा अतः इस स्तम्भ में बिन्दु 14 में बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है एवं आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 16 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट/चैक के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।
- 17 आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
- 18 अपूर्ण आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- 19 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी, तथा पंजीकरण वर्ष 2015 अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
- 20 आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
- 21 आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
- 22 तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट बढ़ सकती है। जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ०प्र० राज्य की सेवा में तथा उ०प्र० राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतन्त्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण की सुविधा वर्तमान में अनुमन्य नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य उ.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

रु०-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष

३०प्र० आवास एवं विकास परिषद

शपथ पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कु० उम्र..... पुत्र / पत्नी

.....निवासी यह

शपथ पूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि:-

- 1 मैं उपरोक्त नामित एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, जिसके साथ यह प्रपत्र सम्बद्ध है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
- 2 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन कय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूंगा / दूंगी।
- 3 मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।
- 4 मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- 5 मैं एतद्द्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिये है तो परिषद को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।
- 6 कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / क्रेताओं की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।
- 7 मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती जो रिश्ते में मेरे / मेरी हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती जो मेरे / मेरी है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंको की सूची

भारतीय स्टेट बैंक

- वसुन्धरा (नोडल शाखा) — सी-17-18, वसुन्धरा गाजियाबाद, फोन : 120-2884694, 2884693
- मुख्य शाखा गाजियाबाद — नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, फोन : 0120-2791069, 2791067, 2791330
- लोनी गाजियाबाद — लोनी गाजियाबाद, फोन : 0120-4600282
- सेक्टर-2, नोयडा — बी-138, सेक्टर-2, नोयडा, फोन : 0120-2523749, 2340642, 2523602, 2530171
- मेरठ — मेरठ रूड़की रोड, मेरठ कैंट, मेरठ, फोन : 0121-2641027, 2648208, 2648731
- मुजफ्फरनगर — रेलवे रोड, मुजफ्फरनगर, फोन : 0131-2437191
- आगरा — छिपीटोला, एम.जी. रोड, आगरा, फोन : 0562-2364365, 2464365
- कानपुर — द माल, कानपुर, फोन : 0512-304091, मो. : 9415043242
- इलाहाबाद — इलाहाबाद ब्रांच, इलाहाबाद, फोन : 0532-608224, 608653, मो. : 9415347714
- लखनऊ — तारा वाली कोठी, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ, फोन : 0522-229812, मो. : 9415013423
- गोरखपुर — गोरखपुर, फोन : 0551-338360
- पटना — वेस्ट गांधी मैदान, पटना, फोन : 0612-223085
- दिल्ली — दिलशाद गार्डन, दिल्ली, फोन : 011-22595125, 22126838
- पर्सनल बैंकिंग ब्रांच, नई दिल्ली, 11 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, फोन : 011-23374302, 23374342।
- ग्रेटर नोयडा — इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, ग्रेटर नोएडा, फोन : 0120-2320733, 2320736

आन्धा बैंक (नोडल शाखा) - सेक्टर-12, वसुन्धरा गाजियाबाद
- सेक्टर-17सी, चण्डीगढ़

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर नियत समय में उपलब्ध होंगी किन्तु पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

नोट :- असफल आवेदकों की धनराशि की वापसी भारतीय स्टेट बैंक (नोडल शाखा) सेक्टर-15 वसुन्धरा शाखा/आन्धा बैंक, (नोडल शाखा) सेक्टर-12, गाजियाबाद द्वारा ही की जायेगी। विस्तृत नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका से देखी जा सकती हैं।

**आनलाइन पंजीकरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा,
लखनऊ को नामित किया गया है।**

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद (सेक्टर-7) में प्रस्तावित "गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट" में बहुमंजिले प्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजनान्तर्गत बहुमंजिले प्लैट्स के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

प्रथम चरण (Step-1) :

आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.com** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Ganga, Yamuna & Hindon Apartment, Siddharth Vihar Yojna (Sector-7), Ghaziabad पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/प्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित प्लैट्स आदि विवरण आन-लाईन फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात अगले कार्यदिवस (अपरान्ह 12 बजे के बाद) में निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats "
- ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' webpage will be available.
- ✓ Applicant can choose anyone available option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID(DU...No)प्रदान किया जायेगा।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "UPAVP SFS Housing Scheme-2015" के पक्ष में देय होना चाहिए।)

*MOPS: Multi Option Payment System

द्वितीय चरण (Step-2) :

अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के अगले कार्यदिवस (अपरान्ह 12 बजे के बाद)/पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com के लिंक Online Registration of flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No./Transaction ID (DU....No) भरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

"उप आवास आयुक्त
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
हॉल संख्या एस-1, आफिस काम्पलेक्स,
वसुन्धरा योजना,
गाजियाबाद (उ0 प्र0)-201012"

पंजीकरण हेतु निर्धारित शहर/योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण एवं आवंटन आदि के सम्बन्ध में 30प्र० आवास विकास परिषद के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स
वसुन्धरा गाजियाबाद
दूरभाष : 0120-2882481

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-16

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स
वसुन्धरा गाजियाबाद
दूरभाष : 0120-2882112

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स
वसुन्धरा गाजियाबाद
दूरभाष : 0120-2882201

उप आवास आयुक्त

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
सेक्टर 16-ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स
वसुन्धरा गाजियाबाद
दूरभाष : 0120-2882025

अपने घर का सच होता

अपना सपना



मूल्य : ₹ 952 + 48 (वैट) = ₹ 1000/-

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <https://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in